न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
मुकदमा नं0 राजस्व प्रकरण 280/2017

प्रार्थीगण :-

1 पु. जमुदेवी बेवा कूवाराम
2 मूलाराम पुत्र कूवाराम
3 ललित पुत्र कूवाराम
4 ईसराराम पुत्र भोजाराम कौम गुरूडा निवासीयान सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (प्रार्थी सं. 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रार्थी सं. 1 पु. जमुदेवी बेवा कूवाराम)

बनाम

विपार्थीगण :-

1. रूगनाथ पुत्र गणेशा
2. गलिया पुत्र पूनमा
3. दरियादेवी पत्नि हडमानाराम
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र हडमानाराम
5. दिनेश कुमार पुत्र हडमानाराम
6. हंसराज पुत्र हडमानाराम
7. भटराज पुत्र हडमानाराम सभी जातियान गुरूडा
8. जामता पुत्र मुकनाराम
9. दीपाराम पुत्र मुकनाराम
10. मानाराम पुत्र मुकनाराम
11. धूकाराम पुत्र मुकनाराम
12. मालाराम पुत्र मुकनाराम सभी जातियान मेघवाल
13. गणेशा पुत्र मूलाराम
14. आसू पुत्र मूलाराम
15. ईसरा पुत्र मूला
16. मिश्रा पुत्र मूला
17. दीपा पुत्र मूला
18. फरसा पुत्र मूला सभी जातियान मेघवाल
19. हवीया पत्नि मांगीलाल
20. पूंजाराम पुत्र भोमाराम
21. धनाराम पुत्र भोमाराम
22. डायाराम पुत्र स्व. पेमाराम
23. शैतानसिंह पुत्र स्व. पेमाराम
24. मूलसिंह पुत्र स्व. पेमाराम
25. रम्भादेवी बेवा स्व. पेमाराम जाति पुरोहित
26. मुलाबाराम पुत्र मिसाराराम जाति गुरू
27. शायरी बेवा मिसाराराम जाति गुरू
28. कोलाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल, निवासीयान सराणा,
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल सांखला वकील

'आदेश'

दिनांक :– 27.12.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा सराणा पटवार क्षेत्र सराणा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा न0 337 रकबा 7.16 बीघा,खसरा न0 339 रकबा 2.17 बीघा, खसरा न0 965/355 रकबा 6.11 बीघा खसरा न0 991/380 रकबा 15 बीघा कुल रकबा 32.04 बीघा मे प्रार्थी की सम्पूर्ण खातेदारी मे स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा कास्त है।विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 प्रार्थीगण की उपरोक्त की खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 28 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 1.06.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेखमबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.), बालोतरा

Scanned by CamScanner